<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर</u>

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 77 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 273

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 भाखराराम पुत्र लाखाराम वगैरह	सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>तारीख रजु :– **04.11.2025**</u>

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश गोदारा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरनाउ, तहसील–सांचौर में हम प्रार्थीगण के संयुक्त खातदेारी के खेत खसरा नंबर 1541 / 453 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 454 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 455 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 456 रकबा 6.18 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.32 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त खेतों पर हम प्रार्थीगण का वर्षो पुराना लगातार कब्जाकाश्त आया हुआ है तथा उक्त खेत की बिगोड़ी हम प्रार्थीगण राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है तथा गिरदावरी भी हम प्रार्थीगण के नाम होती चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी में हम प्रार्थीगण की ढ़ाणियां व बेरा इत्यादि बने हुए है। वादग्रस्त आराजी के खेत के लगती खसरा नंबर 463 गैर मुमकिन नाड़ी आई हुई है तथा उक्त नाड़ी में आने जाने हेतु एक कदीमी राजकयी रास्ता आया हुआ है जिससे काश्तकार व गांव के अन्य लोगों के उक्त नाडी में आने जाने हेतु उक्त रास्ता का उपयोग करते चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारी अप्राथी संख्या 2 हल्का पटवारी सरनाउ हम प्रार्थीगण के मनमुटाव वाले लोगों से मिलावट कर हमारे उक्त खातेदारी खेतों में से होकर रास्ता निकालने पर आमदा है। आज से करीब 10 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम सरनाउ के कुछ व्यक्तियों को लेकर हमारे उक्त खातेदारी खेतों की माठ पर आये तथा हमें एलानियां धमकीयां दी कि तुम्हारे उक्त खेत में से इन लोगों को रास्ता देना पड़ेगा, वरना में यहा का पटवारी हूं तथा तुम्हें जेल में डलवाकर जबरन खेतों में से रास्ता निकाल दूंगा। मौजा सरनाउ में स्थित प्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी आराजी होने व हमारे खेतों में मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकर का गेर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला केस प्रार्थीगण के पक्ष में मेडआउट होता है। मौके पर शांतिपूर्वक बैरोकटोक लगातार कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का आया होने व प्रार्थीगण के खेत में किसी भी प्रकार का गैर मुमकिन रास्ता नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

में है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा डंडे के बल पर रास्ता निकालने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जो रूपयों पेशों में आंकलन नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि मौजा सरनाउ में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी कर जबरदस्ती रास्ता निकाला जावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)